अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

विविध वाद संख्या–39/2024–25
एकराम समसी

–बनाम्–

लटु घांसी एवं अन्य

–::आदेश::–

27.05.2025

अभिलेख उपस्थापित। यह मामला श्री प्रवीण महतो, पु0अ0नि0, महुआटाँड़ थाना के DR-740/24, दिनांक– 25.12.2024 के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक– एकराम समसी, पिता– स्व0 शौकत अली, ग्राम– कुन्दा, पो0– तिरला, थाना– जगेश्वर बिहार, जिला– बोकारो एवं द्वितीय पक्ष (1) लटु घांसी, पिता– स्व0 भोला घांसी, (2) विनोद घांसी, पिता– शिवचरण घांसी, (3) ललका घासी, पिता– झरी घारी, (4) दीपक घासी, पिता– जलवा घांसी, (5) पप्पु नायक, पिता– प्रदीप नायक, सभी ग्राम– चगडी, पो0– तिरला, थाना– महुआटाँड़, जिला– बोकारो से बारी बारी पुछनें पर आवेदक एकराम समसी के आवेदन में वर्णित तथ्यों का समर्थन करते हुए बताये प्रथम पक्ष के दादा शमसुद्दीन अंसारी, दिनांक– 10.01.1985 को मौजा–चगडी के खाता सं0–17, प्लॉट सं0–792, रकवा–20½ डी0 तथा प्लॉट सं0–798, रकवा–80 डी0 के भूमि को खरीदे थे। जिसका नामांतरण के पश्चात् वर्तमान में भी शमसुद्दीन अंसारी के नाम पर लगान अदा करके रसीद प्राप्त करते हुए उक्त विवादित भूमि पर अपना दखल होनें की बात बताते हुए उक्त विवादित भूमि पर अपना दावा करते है। जबकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि उनके पूर्वज के नाम पर अपने हिस्से में है का आरोप लगाते हुए दिनांक– 04.12.2024 को प्रथम पक्ष विवादित भूमि पर मापी करानें की प्रक्रिया में रोक लगायें है। द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के क्रम में उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

उभय पक्षों के द्वारा पूर्व की बाते अर्थात पु0अ0नि0, महुआटॉंड़ थाना के DR-740/24, दिनांक— 25.12.2024 में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया गया।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा चगड़ी, थाना सं0— 40 के खाता सं0—17, प्लॉट सं0— 792, रकवा— 20½ डी0 एवं प्लॉट सं0— 798, रकवा— 80 डी0 कुल रकवा— 100.5 डी0 से संबंधित है। गत सर्वे अनुसार खतियान में रैयती बनाम मनबोध घांसी दर्ज है एवं प्लॉट का किस्म क्रमशः टाँड़ एक, टाँड़ दो दर्ज है।

प्रथम पक्ष एकराम समसी पिता स्व0 शौकत अली, ग्राम कुन्दा, पो0— तिरला, थाना जगेश्वर बिहार जिला बोकारोके द्वारा अपने पक्ष में दादा समसुद्दीन अंसारी पिता नसिरूद्दीन अंसारी द्वारा केवाला सं0—163 दिनांक— 10.01.1985 द्वारा वसी अहमद पिता क्यामुद्दीन अंसारी खाता सं0— 17, प्लॉट सं0— 792, रकवा— 20½ डी0 एवं प्लॉट सं0— 798 रकवा— 85 डी0 भूमि खरीदगी हासिल है। जिसका जमाबंदी ऑनलाईन पंजी ।। के भाग सं01, पृष्ठ सं0— 140 पर दा0खा0 वाद सं0—289/86—87 होकर समसुद्दीन अंसारी पिता नसिरूद्दीन अंसारी के नाम से कायम है। ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2021—22 तक निर्गत है।

द्वितीय पक्ष लटु घांसी एवं अन्य पिता स्व0 भोला घांसी, सा0 चगड़ी पो0— तिरला, थाना— महुआटाँड़ जिला बोकारो के द्वारा खतियानी रैयत मनबोध घांसी का वंशज होने का दावा करते है एवं खतियानी रैयत के अनुसार उक्त खाता प्लॉट पर अपना दावा करते है। खतियानी रैयत का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी ।। के भाग सं0—, पृष्ठ सं0— 20 पर सहदेव घांसी, तुलवा घांसी पिता मनबोध घांसी खाता सं0— 17, प्लॉट सं0— 0, रकवा— 1.15½ ए0 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2005—06 तक निर्गत है। स्थानीय जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि परत स्वरूप है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य राजस्व कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा–चगडी के खाता सं0–17, प्लॉट सं0–792, रकवा–20½ डी0 तथा प्लॉट सं0–798, रकवा–80 डी0 भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच विवाद है। दोनो पक्ष एक ही भूमि के लिए अपना–अपना दावा प्रस्तुत कर रहे है। यह मामला पूर्णतः रैयति भूमि के स्वत्त्व (Title) निर्धारण से संबंधित है। जिसका निष्पादन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

वर्णित परिस्थिति में पक्षकार यदि चाहें तो स्वत्त्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
गोमिया।

अंचल अधिकारी
गोमिया।

स्थानः– गोमिया।
दिनांकः– 29.05.2025

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.06.24 11:29:30 +05:30
Location: 192.168.33.139